


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल जज गौतम गहलोत बनाम लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर (शहर प्रथम), जोधपुर) सू.अ. अपील संख्या 29/2024	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/07/2024	<p>अपीलार्थी गौतम गहलोत निवासी नागौरी गेट के अंदर, जीवनदास का कुआं, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 12.02.2024 को पुलिस थाना महामंदिर, जोधपुर हेतु अवाप्त की गयी 440 वर्गगज भूमि अवाप्ति की फाईल क्रमांक एफ.15(6) राजस्व/अवाप्ति/1993 के सम्पूर्ण की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दु से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर (शहर प्रथम), जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपो. पक्ष (अति. जिला कलक्टर (शहर प्रथम), जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेसपो. पक्ष (अति. जिला कलक्टर (शहर प्रथम), जोधपुर) ने बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेख शाखा, जिला कलक्टर कार्यालय, जोधपुर से प्राप्त कर जरिये पत्रांक 18 दिनांक 07.06.2024 द्वारा प्रार्थी को प्रेषित की गई।</p> <p>चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> (गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)</p>	